प्रेस नोट
दिनांक 02.02.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल, अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–33/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. मनोज यादव, 02. रिंकू पुत्र गरीबे नि0 ग्राम पाल्हापुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को काशीपुर बंधे के पास से गिरफ्तार जामातलाशी के दौरान अभियुक्त रिंकू के कब्जे से 01 अदद अवैध तंमचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 02.02.2025 को थाना को0 कर्नलगंज के उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि प्राप्त सूचना के आधार पर चोरी के मुकदमें के वांछित अभियुक्त–01. रिंकू पुत्र गरीबे को कांशीपुर बंधे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथी अभियुक्त मनोज यादव के साथ मिलकर ग्राम बसेरिया कर्नलगंज के एक घर में चोरी की थी। अभियुक्त मनोज यादव को गांव के लोगो द्वारा पकड़कर थाने में चोरी के माल के साथ सुपुर्द किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. मनोज यादव पुत्र रामचन्दर यादव नि0 चन्द्रभान पुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. रिंकू पुत्र गरीबे नि0 ग्राम पाल्हापुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 03 अदद भगोना, 01, बाल्टी, 03 थाली, 01 अदद गैस सिलेण्डर।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–33/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0–34/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रमेश कुमार।
02. का0 राहुल कुमार।
03. का0 सत्येन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.02.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 मादक पदार्थ तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ कलाम खान पुत्र कादिर खान पिपरहवा राप्ती सोनारी गांव थाना भगवानपुर जनपद बाके (नेपाल) को रेलवे स्टेशन रोड से रानीजोत जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 02.02.2025 को चौकी प्रभारी बड़गांव उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना पर रेलवे स्टेशन रोड से रानीजोत जाने वाले रोड के पास से अभियुक्त सोनू उर्फ कलाम खान पुत्र कादिर खान पिपरहवा राप्ती सोनारी गांव थाना भगवानपुर जनपद बाके (नेपाल) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह नेपाल राष्ट्र से गांजा लाकर भारत में बेचता है। पूर्व में अभियुक्त को एनसीबी लखनऊ की टीम द्वारा जनपद श्रावस्ती से 07 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सोनू उर्फ कलाम खान पुत्र कादिर खान पिपरहवा राप्ती सोनारी गांव थाना भगवानपुर जनपद बाके (नेपाल)।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–77/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 अविनाश कुमार सिंह।
03. हे0का0 अजय पाण्डेय।
04. हे0का0 सतवंत शर्मा।
05. का0 अमित यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा